न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम जी प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, मो0नं0 9664436742 स्थाई पताः– रामदेव गली, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही,

F.S.S.Act Case No. 64/2025

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 23 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 24–2–2025 को मैसर्स वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मील, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता जगदीश प्रजापत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड श्री भैरव सरस) का नमूना संख्या S-2567, खाद्य विश्लेषक, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर के विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./693/Act/2025/700 दिनांक 11–3–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक से तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी को नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 24–2–2025 को 5–15 पी.एम. पर मैसर्स वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम जी प्रजापत उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा मैसर्स वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, पिण्ड़वाडा के निरीक्षण के दौरान मैसर्स वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, पिण्ड़वाडा की दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड श्री भैरव सरस) के 16 पैक पैकेट (प्रत्येक 200 एम.एल.) आम जन को विक्रय करने हेतु रखे हुए पाये, जिसमें मलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम जी प्रजापत को गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, पिण्ड़वाडा की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड श्री भैरव सरस) के 16 पैक पैकेट (प्रत्येक 200 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड श्री भैरव सरस) के 4 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक 200 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/– (रुपये चार सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम प्रजापत को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2567, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड श्री भैरव सरस) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता जगदीश प्रजापत एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता जगदीश प्रजापत, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27–2–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री गुमान सिंह झाला, कार्मिक, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 24–2–2025 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा मैसर्स वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, पिण्ड़वाडा में प्रतिवादी विक्रेता जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम प्रजापत से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड श्री भैरव सरस) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड श्री भैरव सरस) के नमूना संख्या S-2567 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./693/Act/2025/700 दिनांक 11–3–2025 में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड श्री भैरव सरस) का नमूना नमूना संख्या S-2567, अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम जी प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड श्री भैरव सरस) के 200–200 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

.......पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड श्री भैरव सरस) (नमूना संख्या S-2567) के विक्रय हेतु प्रतिवादी जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम जी प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, स्थाई पताः रामदेव गली, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000 / – (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी जगदीश प्रजापत पुत्र जवाराम जी प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स वेदान्त शॉपिंग सेन्टर, पुरानी मिल, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)